# कार्यालय – उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू
(कल्याण शाखा)

ज्ञापांक 496 दिनांक 19-05-17

## विज्ञप्ति

पलामू जिला में कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के आवासीय विधालयो में नियुक्ति हेतु पूर्व में दिनांक 04.12.2016 को प्रकाशित विज्ञप्ति को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है।

पुनः आवासीय विधालयों में पठन–पाठन कार्य हेतु योग्य एवं बेरोजगार युवक–युवतियों से निम्न विषयों के अध्यापन हेतु कुल 10 रिक्त पदो के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी 3. गणित, 4. जीव विज्ञान, 5. विज्ञान, 6. भूगोल एवं 7. संस्कृत 8. कम्प्यूटर शिक्षक

विभागीय पत्रांक 614 दिनांक 26.08.2015 द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर विन्दु के अनुसार रिक्तियों की स्थिति निम्न प्रकार होगी।

1. अनारक्षित :– 5
2. अनुसूचित जन जाति :– 1
3. अनुसूचित जाति :– 3
4. अत्यंत पिछड़ा वर्ग :– 1

योग्यता :– संबंधित विषय में स्नातक प्रतिष्ठा/स्नातकोतर उर्तीण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से नियमित कोर्स से शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उर्तीण। विज्ञान विषय के लिए भौतिकी विषय में स्नातक प्रतिष्ठा/ स्नातकोतर उर्तीण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से नियमित कोर्स से शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उर्तीण एवं कम्प्यूटर शिक्षक के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से नियमित कोर्स से बी0सी0ए0 उर्तीण होना अनिवार्य है। अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी।

इस आरक्षण रोस्टर के अनुपालन के आधार पर उसके विरूद्ध सुयोग्य अभयर्थियों के चयन हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन दिनांक [illegible] तक पलामू जिला के अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। कार्य दिवसों में कार्यालय अवधि में निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी, पलामू के कार्यालय में आवेदन जमा किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

शर्तें :

1. अंशकालीन सेवा प्राप्ति के अन्तर्गत 06 माह के लिए मानदेय पर सेवा हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक/युवतियों का चयन किया जाएगा।
2. अंशकालीन सेवा हेतु किसी भी तरह का भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
3. चयनित शिक्षक किसी अवकाश के हकदार नहीं होगें।
4. चयनित शिक्षको का पद स्थानान्तरणीय नहीं होगा।
5. चयनित शिक्षको को विधालय में आवास की सुविधा नहीं दी जायेगी।
6. चयनित शिक्षको की दैनिक उपस्थिति के आलोक में किये गये अध्यापन कार्य के आधार पर वृतिका का भुगतान किया जायेगा।
7. शिक्षको से कार्य एकरारनामा के आधार पर लिया जायेगा जिसमें उसी प्रखंड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/महिला शिक्षको तथा स्थानीय भाषा के जानकार को प्राथमिकता दी जायेगी। चयन के लिए सरकार आरक्षण पर प्रावधान का भी अनुपालन किया जायेगा।
8. उक्त समिति द्वारा चयन के दौरान प्रखंड स्थल पर अभ्यर्थी अनुपलब्ध पाये जाने की स्थिति में जिला स्तर पर उपलब्ध योग्य अभ्यर्थी से इसका चयन कर भरा जायेगा।
9. योग्य अभ्यर्थी की सेवा लिए जाने हेतु आवश्यकतानुसार विषय के आधार पर चयन किया जायेगा
10. जिला स्तर/प्रखंड स्तर पर संबंधित विषय के PG/Graduate (B.Ed) शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारको को मेधा क्रम के आधार पर उपरोक्त शर्त्तो पर पूरी तरह अस्थायी रूप से कमिटि द्वारा चयन किया जायेगा।
11. चयनीत शिक्षको की सेवा स्वीकृति बल/रिक्ति के विरूद्ध जिला स्तरीय कमिटि के द्वारा ली जायेगी।
12. एकरारनामें की शर्त्तो के विचलन की स्थिति में या असंतोषप्रद कार्य के स्थिति में बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षको की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। यह व्यवस्था पूर्णतः वैकल्पिक एवं अस्थायी है। इस पर भविष्य में किसी भी स्थायीकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा।

13. उपरोक्त शर्त्तों के अधीन प्रथम चयन में छः माह के लिए कल्याण विभाग द्वारा संचालित विधालयों में पठन–पाठन कार्य हेतु PG/Graduate (B.Ed) या शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रीधारकों को मेधाक्रम के आधार पर उपरोक्त शर्त्तों पर पूरी तरह अस्थायी रूप से कमिटी के द्वारा चयन किया जाएगा। चयनित शिक्षकों की सेवा 200 रूपये प्रति घंटी के आधार पर अधिकतम 4 घंटी (एक कार्यदिवस में) तथा एक सप्ताह में 5 कार्यदिवस तक कार्य लिया जायेगा। सेवा संतोषप्रद हो तो आवश्यकतानुसार उन्हें पुनः अगले 06 माह के लिए रखा जा सकता है। जिला स्तरीय कमिटि के द्वारा कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर उक्त सेवा विस्तार पर निर्णय लिया जायेगा।
14. उक्त छः माह की अवधि में शिक्षक नियुक्ति पूर्णः नहीं हो पाने की स्थिति में पुनः अगले छः माह तक कार्य लिया जा सकेगा।
15. किसी भी स्थिति में यह व्यवस्था एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नहीं की जायेगी।

नोट– (i) जो आवेदन, पूर्व में अपना आवेदन पत्र समर्पित किये हैं उन्हें दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ नये आवेदक ही अपना आवेदन आवेदित विषय को स्पष्ट अंकित करते हुए समर्पित करेगें।

(ii) आवेदन का प्रारूप www.palamu.nic.in पर Download किया जा सकता है।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
19/5/17 पलामू

उप विकास आयुक्त,
पलामू

# पलामू जिले में कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं के लिए संचालित आवासीय विधालयों में शिक्षको की सेवा अधिप्राप्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

पासपोर्ट साईज का फोटो

1. अभ्यर्थी का नाम ..................................................

2. पिता/पति का नाम ..................................................

3. जन्म तिथि ..................................................

4. स्थायी आवासीय पता : ..................................................

ग्राम – ..........................डाकघर ....................प्रखण्ड ....................

जिला ..........................

(आवासीय प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित पत्र संलग्न करना अनिवार्य)

5. अनुभव यदि हो तो विवरण : ..................................................

(अनुभव प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

6. मोबाईल नं0/टेलीफोन नं0 : ..................................................

7. ई–मेल : ..................................................

8. शैक्षणिक योग्यता :–

| क्रं0 | परीक्षा का नाम | बोर्ड/विश्वविधालय का नाम | परीक्षा का विषय | पूर्णाक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

9. आवेदित विषय का नाम :– ..................................................

10. जाति :– ..................................................
(स्वअभिप्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें)

## घोषणा

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी सूचनाएं एवं जमा किये गये प्रमाण पत्र मेरी जानकारी में सही है यदि इसमें कोई भी गलती पायी जाती है तो मैं उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह होउँगा तथा नियम संगत कारवाई के लिए तैयार रहूंगा/रहूंगी।

आवेदन करने की तिथि
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर